न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या – 65/2022

आरसीएमएस नं.

1. रतनलाल पुत्र मनफूल जाति राईका निवासी राईकांवाली ढाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
2. करणी सिंह पुत्र गंगाराम जाति राईकां निवासी राईकांवाली ढाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
3. हरिराम पुत्र दीपाराम जाति राईका निवासी राईकांवाली ढाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़

–अपीलांट

बनाम

1. शेर सिंह पुत्र बिड़दाराम जाति राईका निवासी राईकांवाली ढाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
2. रिसाल सिंह पुत्र बिड़दाराम जाति राईका निवासी राईकांवाली ढाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
3. नैनी पत्नी स्व. मनफूल जाति राईका निवासी राईकांवाली ढाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
4. भंवरलाल पुत्र मनफूल जाति राईका निवासी राईकांवाली ढाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
5. नारायण सिंह पुत्र मनफूल जाति राईका निवासी राईकांवाली ढाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
6. किरसनलाल पुत्र मनफूल जाति राईका निवासी राईकांवाली ढाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. सोना पत्नी स्व. गुलाब सिंह पुत्री मनफूल जाति राईका निवासी राईकांवाली ढाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
8. विजय सिंह पुत्र गुलाब सिंह पुत्र मनफूल जाति राईका निवासी राईकांवाली ढाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
9. मन्जू पुत्री गुलाब सिंह पुत्र मनफूल पत्नी भागीरथ पुत्र कलजी जाति राईका निवासी 29 डी.डब्ल्य.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढत्र
10. मैना पुत्री स्व. गुलाब सिंह पुत्र मनफूल पत्नी श्यामसुन्दर पुत्र कुम्भाराम जाति राईका निवासी चक 29 डी.डब्लयू.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
11. उम्मेद सिहं पुत्र गंगाराम जाति राईका निवासी राईकांवाली ढाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
12. भंवरी देवी पत्नी पप्पूराम पुत्री जमनी देवी जाति राईका निवासी रामकां तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
13. कमला पत्नी सिबुराम पुत्री जमनी देवी जाति राईका निवासी रामकां तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
14. पूसी देवी पत्नी धन्नारा पुत्री जमनी देवी जाति राईका निवासी मोटेर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
15. सावित्री पत्नी लीलूराम पुत्री जमनी देवी जाति राईका निवासी रामकां तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
16. मूर्ति देवी पत्नी धोलूराम पुत्री जमनी देवी जाति राईका निवासी रामकां तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
17. सवाई सिंह पुत्र दीपाराम जाति राईका निवासी राईकांवाली ढाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
18. श्रवण सिंह पुत्र दीपाराम जाति राईका निवासी राईकांवाली ढाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
19. गिरधारी सिंह पुत्र दीपाराम जाति राईका निवासी राईकांवाली ढाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

20. रोहित कुमार पुत्र शंकरलाल जाति राईका निवासी राईकांवाली ढाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़

21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ़

–रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.10.2020 द्वारा न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी रावतसर प्रकरण सं. 239/2018 अनवान शेर सिंह बनाम रिसाल सिंह आदि

उपस्थिति

1. श्री राम कुमार कस्वां अभिभाषक अपीलांट
2. श्री देवदत्त भीडासरा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2
3. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 11.5.23

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट सं. 1 शेर सिहं ने विचारण न्यायालय में वाद अनवानी शेर सिंह बनाम रिसाल सिंह वाद सं. 239/2018 अन्तर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि चक–गन्धेली बारानी के खाता संख्या–269/241 की 11.563 हैक्टेयर व खाता संख्या–270/242 की 21.836 हैक्टेयर कुल 33.399 हैक्टेयर भूमि बाबत् खाता विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया। वाद में रेस्पोडेंट सं. 1 ने अपनेव रेस्पोडेंट संख्या–2 रिसाल सिंह के कब्जाकाश्त की भूमि का अंकन करते हुए उक्तानुसार ही खाता विभाजन चाहा। विचारण न्यायालय रेस्पोडेंट संख्या–2 रिसाल सिंह व रेस्पोडेंट संख्या–21 तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15.10.2020 के द्वारा वाद में विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित कर दी जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।
2. अपील प्रसतुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट संख्या–1 व 2 की तरफ से उनके अभिभाषक उपस्थित आये। शेष रेस्पोडेंट सं. 3 ता 20 बावजूद

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

तामिल के उपस्थित नहीं आये। अधीनस्थ न्यायालय को रिकॉर्ड तलब किया गया।

3. उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की तलबी किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट को निर्णय व डिक्री दिनांक 15.10.20 की जानकारी दिनांक 04.03.2022 को हुई थी, इससे पूर्व कोई जानकारी नहीं थी जानकारी होते ही नकल प्राप्त करके अपील प्रस्तुत कर दी। अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद मानी जावे। गुणावगुण पर बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने विभाजन के वाद में बिना पक्षकारों को सुने वाद में अन्तिम डिक्री पारित कर दी है जबकि विभाजन के वाद में सर्वप्रथम प्राथमिक डिक्री पारित की जानी आवश्यक है व तहसीलदार से नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर ही अन्तिम डिक्री पारित की जानी चाहिये। विचारण न्यायालय के समक्ष कुल 33.399 हैक्टेयर भूमि बाबत् खाता विभाजन का वाद प्रस्तुत किया था, परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त भूमि में से केवलमात्र 30.361 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में डिक्री पारित की है। शेष 3.038 हैक्टेयर भूमि बाबत् कोई आदेश पारित नहीं किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष सभी सह–काश्तकारों को वाद में पक्षकार नहीं बनाया है व विभाजन के वाद में सभी सह–काश्तकार आवश्यक पक्षकार है। रेस्पोडेंट सं. 1 ने वाद–पत्र में स्वयं की व रेस्पोडेंट सं. 2 के कब्जाकाश्त की भूमि का अंकन किया है एवं उसी अनुसार अपीलाधीन डिक्री पारित की है, परन्तु अपने कब्जाकाश्त के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट के मौखिक कथनों के आधार पर वाद डिक्री करके संयुक्त खाता की भूमि में अच्छी किस्म की भूमि रेस्पोडेंट सं. 2 को दे दी है जबकि सभी सह–काश्तकार संयुक्त खाता की भूमि में अच्छी मंदी किस्म के अनुसार भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है। अपील स्पीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करवाकर पत्रावली विचारण न्यायालय को सुनवाई हेतु भिजवाने का कथन किया।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए बहस में कथन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

मियाद बाहर है। अपीलांट ने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.10.20 के विरूद्ध अपील दिनांक 16.03.22 को लगभग एक वर्ष पांच माह बाद प्रस्तुत की है देरी का कोई कारण अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं बताया है। अपीलांट द्वारा उपरोक्त अपील गुणावगुण के आधार पर प्रस्तुत की है व गुणावगुण की अपील में तामिल की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। अपील मियाद के बिन्दू पर खारिज की जावे। गुणावगुण पर बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय में संयुक्त खाता की भूमि के विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया था, जिसका किसी भी पक्षकार द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया है। अपीलांट ने भी अपील में केवलमात्र तामिल व बिना सुने व प्राथमिक डिक्री पारित किये अन्तिम डिक्री पारित करने पर आपत्ति की है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 के हिस्सा एवं विभाजन में दी गई भूमि के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की है। वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेंट सं. 1 शेर सिंह का दोनों खातों में कुल 8.350 हैक्टेयर व रेस्पोडेंट सं. 2 रिशाल सिंह का 8.348 हैक्टेयर भूमि विभाजन दी है जो जमाबंदी के अनुसार हिस्सा मुताबिक दी गई है। अपील में अपीलांट ने निर्णय व डिक्री को खारिज करने का अनुतोष चाहा है, परन्तु वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कोई अनुतोष नहीं चाहा है। अपीलांट द्वारा निर्णय व डिक्री में 3.038 हैक्टेयर भूमि बाबत् कोई निर्णय न करने का कथन किया है जो निराधार है। विचारण न्यायालय में वाद दोनों खातों की कुल भूमि 33.399 हैक्टेयर भूमि बाबत् वाद पेश किया है, जिसमें हिस्सा अनुसार रेस्पोडेंट सं. 1 शेर सिंह को 8.350 व रेस्पोडेंट रिशाल सिंह को 8.348 हैक्टैयर भूमि विभाजन में दी है। शेष भूमि संयुक्त खाता के अन्य सह–काश्तकारो की है जिससे सभी सह–काश्तकार हिस्सा अनुसार हकदार है। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में RRD 1984 पृ. 687, DNJ I 2013 पृ. 829 RRT 2014 I पृ. 154, RRD 1990 पृ. 20 RRC 199 पृ. 94 DNJ 2022 II पृ. 539 प्रस्तुत करके खारिज करने का कथन किया।

6. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

7. अपीलांट द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 15.10.22 के विरूद्ध अपील दिनांक 16.3.22 को पेश की है। अपने प्रार्थना–पत्र में निर्णय की जानकारी होने के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आधार पर अपील अन्दर मियाद प्रसतुत होनी बताई है। पक्षकारों के मध्य संयुक्त खाता की भूमि के विभाजन को लेकर विवाद है। संयुक्त खाता की भूमि में विभाजन से पूर्व सभी सह–काश्तकारों को सुनना आवश्यक है। इसलिये न्याहित में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी माफ की जानी है व अपील अन्दर मियाद मानी जानी है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या–1 शेर सिंह ने गावं गन्धेली बारानी के खाता सं. 269/241 की 11.563 व खाता सं. 270/242 की 21.836 हैक्टेयर कुल – 33.399 हेक्टेयर भूमि बाबत् खाता विभाजन चाहा है। वाद–पत्र में रेस्पोडेंट सं. 1 ने स्वयं का कुल 8.352 हैक्टेयर व रेस्पोडेंट सं. 2 रिसाल सिंह का कुल 8.348 हैक्टेयर हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में होना बताया है व शेष भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 3 ता 20 की होनी बताई है। अपीलांट ने रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 के हिस्सा के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की है। अपीलांट द्वारा वाद में उठाई गई आपत्ति की संयुक्त खाता की भूमि में 3.038 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में कोई निर्णय पारित नहीं किया मानने योग्य नहीं है, क्योंकि विचारण न्यायालय में विभाजन हेतु वाद संयुक्त खाता की सम्पूर्ण 33.399 हैक्टेयर भूमि बाबत् प्रस्तुत किया गया था, जिसमें रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 को राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा अनुसार भूमि विभाजन में दी गई है। शेष भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 3 ता 20 को विभाजन में दी गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद खाता विभाजन का था। यदि विभाजन के वाद में सभी सह–काश्तकार सहमत न हो तो वाद में विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री पारित करके राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव आने पर ही वाद में विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करनी चाहिये, परन्तु विचारण न्यायालय में उक्त विधिक स्थिति के विपरित अन्तिम डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत् नहीं मानी जा सकती व रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा प्रस्तुत वाद केवलमात्र खाता विभाजन का है, इसलिये वाद प्राथमिक डिक्री योग्य बनता है। व अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य बनती है।

8. उपरोक्त विवेचन व विशलेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जानी है व न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी रावतसर द्वारा वाद शेर सिंह बनाम रिसाल सिंह वाद संख्या–239/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.10.2020 अपास्त की जाकर वादग्रस्त भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रोही गन्धेली बारानी के खाता संख्या–269/241 की 11.563 हैक्टेयर व खाता संख्या–270/242 की 21.836 हैक्टेयर कुल 33.399 हैक्टेयर भूमि बाबत् प्रस्तुत वाद प्राथमिक डिक्री किया जाता है व पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वाद में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सभी सह–काश्तकारों को पक्षकार बनाते हुए सम्पूर्ण भूमि बाबत् प्राथमिक डिक्री पारित करे व मूल वाद को तीन माह में अन्तिम निस्तारण किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 11.5.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया।

11.5.23

(करतार सिंह पूनियां)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़